

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु  
भूमि - रिबिया

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 197

दिनांक : 23-11-2021

निर्णय:-

प्रार्थी श्री.....कृष्णमल.....पुत्र/पुत्री/पत्नी...परसाराम.....  
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....रिबिया.....पटवार मण्डल रघुपत्ता प. पीवीसर  
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्...2071-74.....के खाता संख्या.....242.....में  
खातेदार/पैर खातेदार का नाम/जाति.....कृष्णमल पुत्र परसाराम.....अंकित है जो सही सम्मानजनक नहीं है।  
जिसे सही सम्मानजनक रूप से.....कृष्णमल पुत्र परसाराम.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन  
पत्र की जांच पटवारी हल्का...रघुपत्ता प. पीवीसर...से करवाने पर पटवारी ने...कृष्णमल.....के  
बजाय...कृष्णमल.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....कृष्णमल.....  
के बजाय...कृष्णमल.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम  
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....रिबिया.....  
के खाता संख्या.....242.....में खातेदार/पैर खातेदार का नाम/जाति.....कृष्णमल.....  
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....कृष्णमल.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,  
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुखस्ती करें।



23/11/21  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी,  
(Land Record Officer)  
चूरु



नो-कॉ: 1320  
24-11-21